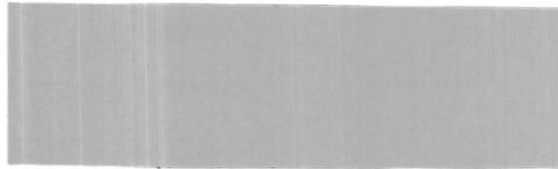




केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00112
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/25/00208
अपीलकर्ता श्री दिलीप कपूर



आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.03.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.04.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.05.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सुमन ब्राला CPIO & DS (RTI Cell)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.05.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	15.05.2025
निर्णय की तारीख	29.05.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 24.03.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

“1.) यह कि द्वितीय अपील की सुनवाई की अवधि व इस अवधि में कितनी तिथियां लगाई जा सकती है, द्वितीय अपील निर्धारित समय में अपील निस्तारित नहीं करती है तो अग्रेतर कार्यवाही को नियमों को दर्शाने वाले नियमों की प्रति।

2.) यह कि यदि द्वितीय अपील समय में निस्तारित नहीं होती है तो सूचना अधिनियम में अग्रेतर क्या कार्यवाही के निर्देश है नियमों की प्रमाणित प्रति।

3.) यह कि लोक सूचना अधिकारी यदि समय से सूचना नहीं देता और द्वितीय अपील में मा. आयोग लोक सूचना अधिकारी को कोई दण्ड निहित नहीं करता है तो सूचना अधिकार में अग्रेतर किन नियमों का विधान है की प्रमाणित प्रति।

4.) यह कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय से सूचना नहीं दिए जाने पर आवेदक को द्वितीय अपील करने, विभिन्न तिथियों में मा. आयोग में जाने /आने के मार्ग ब्यय का अनुतोष पाये जाने के नियमों की प्रतियां।”

2. प्रदान की गई सूचना

श्रीमती सुमन बाला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 07.05.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -

बिंदु सं 1,2,3,4.) - आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में उल्लेखित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण देना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है, विशेष जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करे जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक <https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> सहित पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. प्रथम अपील का आधार

कृपया अनुरोध करना है कि मेरे द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 25 को सलग्न सूचना अनुरोध पत्र मा. लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करते हुए वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियां चाही गयी थी, किन्तु खेद का विषय है कि अन्य लोगों को सूचना उपलब्ध कराने वाले मा. आयोग द्वारा सूचना नहीं दी गयी, जो कदाचित घोर अविश्वास के साथ ही जनहित में नहीं है और श्रजित आयोग के सिद्धांत के विपरीत है।

अस्तु सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील आपकी सेवा में सूचना अनुरोध पत्र के साथ सेवा में प्रेषित है, इस अनुरोध के साथ की कृपया सही सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

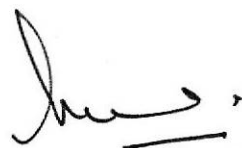
4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00208 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपिलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 29.05.2025



रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

